न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉं आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00082 (82/2019)

अयूब पुत्र स्व0 सुलेमान जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रानी पुत्री स्व0 सुलेमान पत्नी फलकशेर जाति मुसलमान निवासी जण्डवाला तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. शरीफ पुत्र स्व0 श्री सुलेमान जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. जबरबाई पुत्री स्व0 सुलेमान पत्नी फरीद जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. करमबाई पुत्री स्व0 सुलेमान पत्नी अजीज जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. वकील खां पुत्र स्व0 श्री अलादिता जाति मुसलमान निवासी माणकसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. जमील खां पुत्र स्व0 श्री अला दिता जाति मुसलमान निवासी माणकसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. सलीम खां पुत्र स्व0 अलादिता जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. अकरम खां पुत्र स्व0 अलादिता जाति मुसलमान निवासी हांसलिया तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. सुरजा पत्नी श्री बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
10. मरूधरा ग्रामीण बैंक 24 जेआरके गोलूवाला निवासन जरिये शाखा प्रबंधक लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लिखमीसर जरिये शाखा प्रबन्धक लिखमी सर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
12. उप पंजीयक गोलुवाला तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमागनगढ
—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा
प्र0 संख्या 05/2017 बअनवानी अयूब बनाम रानी आदि

उपस्थितिः—
श्री नरेश कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 13

निर्णय **दिनांक** — 28.09.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की चक 4 एलकेएस 'ए' के खाता सं0 4/79 प. नं. 16/272 (12) 4 ता 6, 15, 16 की 1.265 है0 व प0 नं0 17/272 (13) में किला नं. 1 ता 20 की 5.060 है0 कुल 6.325 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 4 एलकेएस ए में संयुक्त खाता की कृषि भूमि में वादी के नाम 1.054 है0, प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1.055 है0, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1.249 है0, प्रतिवादी सं0 3 के नाम 0.150 है0, प्रतिवादी सं0 4 के नाम 1.054 है0, प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के नाम 1.054 है0 बहिब0 प्रतिवादी सं0 9 के नाम 0.709 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक परिवारिक बंटवारा के सभी संयुक्त काश्तकार अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज हैं। मगर खाता सांझा है। सांझा खाता होने के कारण सींव, बट, एवं रकमराज का आपस में तनाजा बना रहता है का कथन करते हुए वादी वादपत्र की दफा के अनुसार वादी का खाता विभाजन विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के किया जाने रकम राज अलग कायम करने एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 9 को रहन बय व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करने एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। वादी का वाद दिनांक 07.01.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आगे कार्यवाही नहीं चाहने के कारण अदम हाजरी में खारिज कर दिया एवं दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादी सं0 1 की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, मनमानी एवं विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता के हिदायत पैरवी नहीं होने के कथनों के आधार पर वादी/अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि ऐसी किसी कार्यवाही से पूर्व अधिवक्ता अपीलांट अथवा न्यायालय द्वारा पक्षकार को इस बाबत सूचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। पत्रावली औपचारिक कार्यवाहियों यथा तलबी एवं जवाब इत्यादि के लिए मुकर्रर थी अधिवक्ता वादी द्वारा यह कहा गया कि वादी को प्रत्येक पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वादी को बिना सुने एकतरफा सुनवाई कर निर्णय पारित कर दिया गया है। रेस्पोडेण्ट का प्रतिवाद मियाद बाहर होना बखूबी साबित है क्योंकि विधि अनुसार धारा 183 राज0 का0 अधिनियम के वाद हेतु परिसीमा काल 3 वर्ष है। प्रतिवाद विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 ता 8 प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिवादी के विरूद्ध प्रतिदावा नहीं प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिवादीया को वाद कारण वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर हासिल हुआ था। वादी का वाद दिनांक 07.01.2019 को खारिज हो चुका था इसके उपरान्त प्रतिवादीया को वादी के विरूद्ध कोई ववाद कारण हासिल नहीं था। पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये गये थे। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 को जरिये जाब्ता पुलिस बेदखल कर आराजी का कब्जा रेस्पो0 सं0 1 को दिलवाये जाने का राठौड़ी आदेश पारित किया गया है जबकि ऐसी कोई इस्तदुआ प्रतिवाद में नही की गई थी। वाद विभाजन का था जिसमें प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी लेकिन कोई प्राथमिक डिक्री नहीं पारित की गई है। अपीलाण्ट को एकपक्षीय कार्यवाही एवं अपीलाधन निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 13.04.2019 को प्रतिवादीया सं0 1 उसके कब्जा की आराजी मे आई तथा उससे भूमि खाली करने बाबत धमकी दी तथा बताया कि उक्त भूमि के संबंध में उसने डिक्री करवाली है यदि अपीलांट द्वारा भूमि खाली नहीं की गई तो पुलिस के जरिये प्रश्नगत भूमि को खाली करवा ले[illegible] अपीलांट को घोर आश्चर्य हुआ और अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तथा निर्णय [illegible] प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। अतः इसे स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन [illegible] निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.01.2019 को की गई थी एवं उसका वाद खारिज कर दिया गया था। वाद खारिज किये जाने एवं चुनौतिधीन निण्रय एवं डिक्री के संबंध में अपीलाण्ट को पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने ये मिथ्या कथन किये हैं कि दिनांक 13.04.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के कब्जा की आराजी में आई और जमीन खाली करने की धमकी दी। अपीलाण्ट का यह कथनकतई गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। अपीलाण्ट ने वाद अदम हाजरी खारिज होने के बाद वादपत्र को रेस्टोर कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। अपीलांट के अधिवक्ता से सम्पर्क करने संबंधी कथन न केवल मिथ्या है बल्कि विरोधाभाषी है। अपीलांट सदभावी नहीं है। रेस्पोडेंट ने केवल अपने हक हिस्सा की भूमि की डिक्री पारित करवाई है अपीलांट के हिस्से में हस्तक्षेप नहीं किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः अपील अपीलांट मियाद बिन्दू एवं गुणागवुण दोनों पर खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने खाता विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञ का वाद पेश किया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब मय प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी को समन तलवाना प्रस्तुत करने हेतु काफी समय दिया गया परन्तु वादी ने समन तलवाना पेश नही किया एवं वादी के वकील ने दिनांक 20.12.2018 को पत्रावली पर हिदायत पैरवी नही होने का नोट अंकित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.01.2019 को दावा को अदम हाजरी में खारिज कर दिया। अपीलाण्ट ने अपने वाद को पुनः रेस्टोर कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार्य नहीं है कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

7. अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का प्रतिवाद स्वीकार किया गया है। नियमानुसार वादपत्र के खारिज होने एवं प्रतिवाद पत्र के डिक्री होने के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत होनी चाहिए थी मगर अपीलाण्ट ने केवल एक ही अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1.055 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने का कथन किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उतने ही हक हिस्से की डि[illegible] की है। अपीलाण्ट यह स्पष्ट नही कर पाया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट के हक हकूक पर क्या प्रभाव पड़ा है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested

Lonio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील दोनों खारिज किये जाते हैं तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.01.2019 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.09.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/21
(करतारसिंह पूनियाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:17:47 IST
Reason: SelfAttested